सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

॥ 22 मार्च, 2001 को प्रस्तुत ।॥

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

COMMITEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTH REPORT

(Presented on 22 March, 2001)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

{22 मार्च, 2001 को प्रस्तुत}

समिति का गठन

1.	चौ॰ प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3.	श्रीमती मीरा भारद्वाज	सदस्य
4.	श्री चरण सिंह कंडेरा	सदस्य
5.	श्री साहब सिंह चौहान	सदस्य
6.	श्री सुशील चौधरी	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस॰के॰शर्मा	सचिव
2.	श्री सिद्धार्थ रॉव	संयुक्त सचिव
3.	श्री जी॰सी॰मेहता	अवर सचिव

......

प्र ति वे द न

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की दसवीं बैठक 15 मार्च,2001 को अप·3·00 बजे अध्यक्ष महोदय के कक्ष,पुराना सचिवालय,दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

सर्वप्रथम सचिवालय ने सूचित किया कि दो गैर सरकारी सदस्य विधेयक - महिला आरक्षण विधेयक,2000 - श्री मुकेश शर्मा और दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक,2000 - श्रीमती अंजलि रॉय, जो पहले ही पुरःस्थापित किये जा चुके हैं, को विचार के लिये सूचीबद्ध किया जाना है । समिति ने निर्णय लिया कि इन दोनों विधेयकों को 23 मार्च,2001 को पड़ने वाले प्रथम शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाये और प्रत्येक के लिये एक घंटे का समय चर्चा हेतु आवंटित किया ।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि डॉ·जगदीश मुखी द्वारा पूर्व सत्र में दिये गये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ते,पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक,2000 में वित्त निहित है और इसे उपराज्यपाल को भेजा गया था । उपराज्यपाल की संस्तृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इसलिये, तब तक इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता ।

मुख्य सचेतक ने समिति को सूचित किया कि इसी विषय पर एक सरकारी विधेयक अंतिम स्थिति में है । अतः समिति ने इच्छा व्यक्त की कि यदि संभव हो तो डॉ·मुखी के विधेयक में निहित प्रावधानों को तैयार किये जा रहे विधेयक में उचित रूप से जोड़ दिया जाये और मुख्य सचेतक से अनुरोध किया कि इस संबंध में समिति की इच्छाओं से सरकार को सूचित कर दें ।

दूसरा लंबित विधेयक यानी दिल्ली जल बोर्ड (संशोधन) विधेयक,2000- जो श्री मुकेश शर्मा द्वारा दिया गया था, पर समिति ने विचार किया । समिति ने महसूस किया कि यदि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार विधायक जल बोर्ड का चेयरमैंन बनाया जाता है तो वह अयोग्य घोषित हो सकता है । इस प्रकार इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है और निर्णय लिया कि इसे लम्बित विधेयकों की सूची में से हटा दिया जाये ।

समिति को सूचित किया गया कि आगामी सत्र के लिए पाँच गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई है और प्रत्येक विधेयक के बारे में समिति का निर्णय साथ साथ दिया गया है :-

1.	दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक सम्मान विधेयक, 2001 - ﴾श्री मुकेश शर्मा﴿	चूंकि विधि विभाग की राय के अनुसार विधान सभा इस विषय पर कानून बनाने में सक्षम है और इसमें कोई वित्त भी निहित नहीं है, समिति ने निर्णय लिया कि सदस्य को विधेयक पुरः-स्थापित करने की अनुमति दे दी जाये.
2.	दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा ﴾संशोधन﴿ विधेयक, 2001 - ﴾श्री अरविन्दर सिंह लवली﴿	समिति को सूचित किया गया कि इसी तरह का एक सरकारी विधेयक विधान सभा द्वारा पूर्व में पारित किया गया था, जिसकी संस्तुति अभी राष्ट्रपति द्वारा की जानी है. समिति ने निर्णय लिया कि, चूंकि विधान सभा कानून बनाने में सक्षम है और वर्तमान विधेयक में पूर्व विधेयक से कुछ अलग प्रावधान निहित है, अतः यह उचित नहीं होगा कि विधेयक को प्रारम्भिक स्थिति में ही रोक दिया जाए. समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि विधान सभा के पास विधायी क्षमता है, इसलिए सदस्य को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए और विचार के समय संबंधित मंत्री विधेयक की स्थिति के बारे में सदस्य को सूचित करेंगे और उनसे विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करेंगे.
3.	दिल्ली बिक्री कर ﴾संशोधन﴿ विधेयक, 2001	चूंकि प्रस्तावित संशोधन बिक्री कर अधिनियम का विषय नहीं है और उद्योग विधेयक उचित कानून है और मूल अधिनियम में संशोधन नहीं किया जा सकता, अतः समिति ने निर्देश दिया कि विधेयक को लंबित विधेयकों की सूची में से हटा दिय जाए ।

4· दिल्ली अभिभावक संरक्षण विधेयक, 2001
-§श्री अरविन्दर सिंह लवली§

चूंकि विधेयक हिन्दी भाषा में है और विधि विभाग ने रा·रा·क्षेत्र दिल्ली अधिनियम की धारा-35 के अंतर्गत विधेयक के अंग्रेजी रूपान्तर की मांग की है । सचिवालय ने बताया कि सदस्य को पहले ही अंग्रेजी रूपान्तर उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध किया जा चुका है । समिति ने फिलहाल इस विधेयक को लम्बित रखने का निर्णय लिया ।

5· दिल्ली शैक्षणिक संस्थानों एवं समितियों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने संबंधी विधेयक, 2001
-§श्री मुकेश शर्मा§

समिति को सूचित किया गया कि विधि विभाग की राँय के अनुसार यह विधेयक विधान सभा की विधायी क्षमता से बाहर है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि विधेयक को सूचीबद्ध न किया जाये और लम्बित विधेयकों की सूची में से हटा दिया जाये ।

संकल्प

समिति को सूचित किया गया कि सदस्यों से कुल मिलाकर 34 संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और निम्नलिखित तीन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है । समिति ने निर्णय लिया कि इन्हें शुक्रवार, 30 मार्च, 2001 को सूचीबद्ध किया जाये और इनके लिये प्रत्येक के समक्ष दर्शाया गया समय आबंटित किया :-

क्र·सं·	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	आबंटित समय
1·	श्री ब्रह्म पाल श्री महाबल मिश्रा श्री मुकेश शर्मा	यह सदन सिफारिश करता है कि बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आये लाखों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए दिल्ली में भोजपुरी, मैथिली अकादमी का गठन किया जाये ।"	45मिनट
2·	श्री साहब सिंह चौहान	यह सदन सिफारिश करता है कि विधायक निधि के प्रयोग हेतु बनाये गये दिशा-निर्देशों में उचित संशोधन करते हुए, विधान सभा द्वारा नियमितीकरण हेतु स्वीकार की गई 1071 कालोनियों के विकास कार्यों में विधायक निधि से धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया जाये ।"	45 मिनट
3·	श्रीमती मीरा भारद्वाज श्रीमती किरण चौधरी	यह सदन संकल्प करता है कि दूसरी विधान सभा द्वारा इसके गठन के बाद से पारित किये गये सभी संकल्पों की विस्तृत वास्तविक रिपोर्ट सदस्यों के सूचनार्थ सदन पटल पर रखी जाये ।	30 मिनट

कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि विधान सभा में बैठने के लिये उनके लिये कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो कमरे कांग्रेस विधायी दल के लिये आबंटित है, उन्हें कुछ पार्टी पदाधिकारियों ने घेर रखा है । चूंकि उन्होंने कमरों के बाहर अपनी नाम पट्टिकाएं लगा रखी है और अधिकतर अपने एकान्तिक उद्देश्य के लिये कमरों का प्रयोग करते हैं, वे पार्टी कार्यालयों में जाने और वहां बैठने में हिचक महसूस करते हैं । जब माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि कमरे कांग्रेस विधायी दल के लिये आबंटित किये गये है न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये, मुख्य सचेतक ने टिप्पणी करते हुए अपने विचार व्यक्त किये कि उन कमरों को कोई भी अपना व्यक्तिगत स्वामित्व समझकर प्रयोग नहीं कर सकता और अध्यक्ष महोदय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ।

माननीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि समय-समय पर उनसे कई विधायक इस बात की शिकायत करते हुए मिलते रहते हैं कि उनके लिये पुराना सचिवालय परिसर में बैठने अथवा कार्य करने के लिये कक्ष उपलब्ध नहीं है । इसलिये उन्होंने सचिवालय को निर्देश दिये कि वह यह सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत नाम-पट्टिकाओं को हटा दिया जाये और पार्टी कार्यालयों में इस तरह से बैठने की व्यवस्था की जाये ताकि कांग्रेस विधायी दल के सभी सदस्य बैठने और कार्य करने के लिये उनका प्रयोग कर सकें ।

समिति ने श्री मंगत राम सिंघल और उनकी अनुपस्थिति में श्री साहब सिंह चौहान को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

दिल्ली,
19 मार्च, 2001

(चौ· प्रेम सिंह)
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों
एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

COMMITTEE ON PRIATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTH REPORT

(Presented on 22 March,2001)

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

1.	Ch. Prem Singh, Hon'ble Speaker,	Chairman
2.	Sh. Mangat Ram Singhal	Member
3.	Smt. Meera Bhardwaj	Member
4.	Sh. Charan Singh Kandera	Member
5.	Sh. Sahab Singh Chauhan	Member
6.	Sh. Sushil Chaudhary	Member
7.	Sh. Ram Singh Netaji.	Member

SECRETARIAT

1.	Sh. S.K. Sharma	Secretary
2.	Sh. Siddharath Rao	Joint Secretary
3.	Sh. G.C. Mehta,	Under Secretary

REPORT

The Tenth Meeting of the Committe on Private Members' Bills and Resolutions was held in the Chamber of Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly on 15th March, 2001 at 3.00 P.M.

At the outset, the Secretariat informed that two Private Member Bills viz., The Women Reservation Bill, 2000 by Shri Mukesh Sharma and The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2000 by Smt.Anjali Rai which have already been introduced are to be listed for consideration. The Committee decided that both the Bills be listed on Ist Friday falling 23rd March, 2001 and allotted one hour each for discussion thereon.

The Committee was also informed that the Delhi Members of Legislative Assembly of NCT of Delhi (Salaries, Allowances, Pension) etc., (Amendment) Bill, 2000 by Dr.Jagdish Mukhi which was received in the previous Session and which contained financial implications was sent to Lt.Governor. The recommendations of Lt.Governor have not been received and therefore, the Bill cannot, till then, be introduced.

The Chief Whip informed the Committee that Govt. Bill on the subject is at finalisation stage. The Committee, therefore, desired that the provisions contained in Dr.Mukhi's Bill may, if possible, be suitably incorporated in the draft Bill and requested the Chief Whip

to communicate the Committee's feelings to the Government in this regard.

The second pending Bill viz. Delhi Jal Board (Amendment) Bill, 2000 by Shri Mukesh Sharma was considered by the Committee. The Committee felt that if as per provisons in the Bill, MLA was made Chairman of the Jal Board, he may become subject to disqualification. As such, there is no point in allowing introduction of this Bill and decided that the same be dropped from the list of pending bills.

The Committee was informed that for the ensuing Session the Notices of five Private Members Bills have been received and the Committee's decision in respect of each Bill is given in juxta-position.

1.	The Delhi Senior Citizens Honour Bill, 2001. (by Sh.Mukesh Sharma)	Since as per Law Deptt.'s opinion, the Assembly is competent to enact law on the subject and there are no financial implications, the Committee decided that the Member may be allowed to introduce the Bill.
2.	The Delhi Sikh Gurudwara(Amendment) Bill, 2001. (by Shri Arvinder Singh Lovely)	The Committee was apprised that somewhat similar Govt. Bill was earlier passed by the Assembly but is yet to be assented by the President. The Committee decided that since the Assembly has the legislative competence, and the present Bill contains some provisions different from the earlier Bill, it may not be proper to scuttle the Bill at the threshhold stage. The Committee therefore decided that the Member may be allowed to introduce the Bill, and at the consideration stage, the Minister concerned may inform the member of the position and request him to withdraw the same.
3.	The Delhi Sales Tax(Amendment) Bill, 2001. (BY Sh.Mukesh Sharma)	Since the proposed amendment is not the object of the Sales Tax Act and the Industries Bill is the appropriate Law, amendment in the principal Act is not

		called for and hence directed that the Bill may be dropped from the list of pending bills.
4.	The Delhi Parents Protection Bill, 2001. **(by Sh.Arvinder Singh Lovely)**	Since the Bill is in Hindi language the Law Deptt. has desired English version of the Bill as per Section 35 of the NCT Act. The Secretariat apprised that the Hon'ble member has already been requested to supply the English version also. The Committee decided that the Bill may be kept pending for the present.
5.	The Delhi Reservation for other Backward Classes in Educational institutions and Committees Bill, 2001. **(Sh.Mukesh Sharma)**	**The Committee** was informed that as per Law Department's opinion the Bill was outside the legislative competence of the Assembly. The Committee therefore decided that the Bill may not be listed and be dropped from the list of pending Bill.

RESOLUTIONS

The Committee was informed that in all, 34 Resolutions were received from the Members and the following three found place in the balloting. The Committee decided the same be

.....4

listed on Friday the 30th March and allotted time as indicated against each below -

S.No. 1	Name of the Member 2	Text of Resolution 3	Time alloted 4
1.	Shri Brahm Pal Shri Mahabal Mishra Shri Mukesh Sharma	: This House recommends that in deference to the feelings of Lakhs of people hailing from Bihar and Eastern U.P., a Bhojpuri Maithili Academy be constituted in Delhi.	45 Minutes
2.	Shri Sahab Singh Chauhan	: This House recommends that by making suitable amendments in the guidelines framed for the utilisation of MLA fund, provision be made for spending the money from this fund on developmental activities in the 1071 colonies whose regularisation has been recommended by the Legislative Assembly.	45 Minutes
3.	Smt. Meera Bhardwaj Smt. Kiran Choudhry	: This House resolves that a comprehensive status report in respect of all the Resolutions passed by	30 Minutes

1	2	3	4
		the Second Legislative Assembly right from its inception be laid on the Table of the House for the information of Hon'ble Members.	

Some members complained that they do not have any place to sit in the Assembly because the rooms allotted for the Congress Legislature Party have been occupied by certain party functionaries. Since they have put their name plates outside the rooms and are using the rooms generally for their exclusive purpose, they hesitate to go and sit in the party offices. When informed by Hon'ble Speaker that the rooms were allotted to the Congress Legislature Party and not to any individual, the Chief Whip concurring with the observations expressed the view that the same should not be used by anyone as their personal property and requested the Chair to intervene.

Hon'ble Speaker observed that serveral MLAs have met him from time to time in this regard complaining about the non-availability of a seating or working room for them in the Old Secretariat Complex. He therefore directed the Sectt. to ensure that the individual name-plates are removed and seating arrangement in the Party office is made in such a manner that they are used by all members of the Congress Legislature Party for their sitting and working.

The Committee authorised Sh. Mangat Ram Singhal and in his absence Sh. Sahab Singh Chouhan to present the report of Committee to House.

(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER
BILLS AND RESOLUTIONS

DELHI

19th MARCH, 2001.